राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या – 02/2024

रमेश चन्द बावरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. सोहन लाल, मुख्य लेखा अधिकारी, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.01.2024
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वे समस्त नकद लाभ प्रदान किये जावे, जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रदान किये गये हैं।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर फरवरी, 1991 में हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 11.02.1991 को कार्यग्रहण किया था, उसके पश्चात् अपीलार्थी का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से माह जून, 1993 में किया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर की गई तथा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.04.2023 को दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर अंकित है तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 3 पर अंकित है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी से पूर्व मुख्य लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत करते हुये पदस्थापन किया गया तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ होने के बावजूद उक्त पदोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी की आदेश दिनांक 04.12.2017 को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति को फौजदारी प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पुनर्विलोकन करते हुये अपीलार्थी की उक्त पदोन्नति की अनुशंषा को लिफाफे में बंद रखे जाने की अनुशंषा की गई तथा अपीलार्थी की वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ सेवा संवर्ग में की गई पदोन्नति को प्रत्याहरित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अपील में कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 जारी किया है। जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2017–18 में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं होने के कारण ही अपीलार्थी की पूर्व में पदोन्नति वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर की गई थी। परंतु झूठे तथ्यों का उल्लेख करते हुये बिना फौजदारी प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद फौजदारी प्रकरण मानते हुये आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राईवेट कैपिसिटी में चैक अनादरण के मामले में एक एफआईआर संख्या 527/2015 दर्ज की गई, जिसमें प्रदर्श–5 चालान प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 406 व 420 में प्रसंज्ञान

लिया गया, जिसको अपीलार्थी ने माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4, उदयपुर में रिवीजन में चुनौती दी। माननीय सेशन न्यायालय ने दिनांक 08.07.2022 को प्रदर्श–6 के द्वारा अपीलार्थी को 420 आईपीसी के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा 406 आईपीसी में विचारण न्यायालय को आगे की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.क्रिमिनल मिस पिटिशन संख्या 6634/2022 में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.11.2022 को अपीलार्थी के विरूद्ध 406 आईपीस में प्रसंज्ञान आदेश को स्थगित किया गया। उक्त प्रकरण अपीलार्थी के दुराचरण के संबंध में नहीं है। अपीलार्थी की प्राईवेट कैपिसिटी में दर्ज मुकदमा है तथा माननीय उच्च न्यायालय से लगातार स्थगन आदेश प्रभावी है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान में किसी भी न्यायालय में तथा वर्ष 2017–18 तक किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय में प्रसंज्ञान आदेश नहीं लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकी रमन एवं अन्य में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष के प्रथम वर्ष की एक अप्रेल को विभाग के द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी किया गया हो तो विभागीय कार्यवाही विचाराधीन मानी जावेगी तथा किसी फौजदारी प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान ले लिया गया हो तो फौजदारी प्रकरण विचाराधीन माना जावेगा। अपीलार्थी के प्रकरण में सर्वप्रथम फौजदारी प्रकरण नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध चैक अनादरण का मामला का प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर उस पर प्रसंज्ञान के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसलिये स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में द्वारा किसी भी अपराध में प्रसंज्ञान आदेश प्रभावी नहीं है। इसलिये पदोन्नति समिति ने पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.12.2017 के द्वारा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति की गई थी, जिसको प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई अवसर दिये आलोच्य आदेश जारी किया गया है। माननीय पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 25884/2014 दिनांक 05.11.2015 को ओमपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में यह निर्धारित किया है कि चैक अनादरण का प्रकरण सिविल नेचर का

मुकदमा है तथा लेन–देन को सिविल प्रकरण ही माना जायेगा फौजदारी प्रकरण नहीं माना जायेगा। चैक अनादरण मामले में की गई सजा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने कार्मिक की सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त किया है तथा यह निर्धारित किया है कि चैक अनादरण के प्रकरण फौजदारी प्रकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, सिविल नेचर के प्रकरण की श्रेणी में आते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के विरूद्ध सिविल नेचर के मुकदमें के आधार पर आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को प्रत्याहरित किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा मनमाने ढंग से पारित आदेश है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 को निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वे समस्त नकद लाभ प्रदान किये जावे, जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रदान किये गये हैं।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 527/2015 दर्ज है तथा न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का संज्ञान होने के आधार पर लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति को प्रत्याहरित किया गया है। प्रत्याहरित करते हुये अपीलार्थी के प्रकरण को लिफाफे में बंद किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण में प्रसंज्ञान आदेश के कारण ही आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो नियमानुसार जारी आदेश है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर की गई तथा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद

पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा आदेश दिनांक 04.12.2017 के द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापन किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी से पूर्व मुख्य लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति करते हुये पदस्थापन किया गया तथा अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद उक्त पदोन्नति का लाभ अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी की आदेश दिनांक 04.12.2017 को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति को फौजदारी प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पुनर्विलोकन करते हुये अपीलार्थी की उक्त पदोन्नति की अनुशंषा को लिफाफे में बंद रखे जाने की अनुशंषा की गई तथा अपीलार्थी की वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ सेवा संवर्ग में की गई पदोन्नति को प्रत्याहरित किया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2017–18 में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं होने के कारण की गई थी। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राईवेट कैपिसिटी में चैक अनादरण के मामले में एक एफआईआर संख्या 527/2015 दर्ज की गई, जिसमें प्रदर्श–5 चालान प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 406 व 420 में प्रसंज्ञान लिया गया, जिसको अपीलार्थी ने माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4, उदयपुर में रिवीजन में चुनौती दी। माननीय सेशन न्यायालय ने दिनांक 08.07.2022 को प्रदर्श–6 के द्वारा अपीलार्थी को 420 आईपीसी के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा 406 आईपीसी में विचारण न्यायालय को आगे की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी.क्रिमिनल मिस पिटिशन संख्या 6634/2022 में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.11.2022 को अपीलार्थी के विरूद्ध 406 आईपीसी में प्रसंज्ञान आदेश को स्थगित किया गया तथा स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। उक्त प्रकरण अपीलार्थी के दुराचरण के संबंध में नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध लेन–देन के प्रकरण में प्राईवेट कैपिसिटी में दर्ज मुकदमा है तथा वर्ष 2017–18 तक किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का प्रसंज्ञान आदेश प्रभावी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकी रमन एवं अन्य (1991) 4 एससीसी 109 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"(1) It is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. To deny promotion the disciplinary/criminal proceedings must be at the relevant time pending at the stage when charge-memo/charge-sheet has already been issued to the employee.

(16.) On the first question, viz as to when for the purposes of the sealed cover procedure the disciplinary/criminal proceedings can be said to have commenced, the Full Bench of the Tribunal has held that it is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued."

इसी प्रकार माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 25884/2014 दिनांक 05.11.2015 ओमपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"4. On due consideration of the matter, I am of the opinion that the punishment order of termination of services of the petitioner is extremely harsh considering the fact that he is in employment since 31.07.1983, particularly when the imprisonment was not on account of any act related to the service or amounting to moral turpitude. Conviction under Section 138 of Negotiable Instruments Act even though emanating from proceedings which have a criminal colour cannot be termed to be such as the genesis of the dispute essentially arising from a civil transaction which should not, therefore, ordinarily have any bearing on the service of an employee to warrant such a harsh consequence as termination of his service to wipe out the entire previous service. The service Rules only envisage this extreme course to be adopted by respondents in the event of a person being convicted for an act which has a bearing on the service of the employee or if mis conduct attributed, amounts to moral turpitude. Finding none of these to be present in the instant case, I would have no hesitation to accept the petition.

5. Resultantly, the petition is allowed and the petitioner would be deemed to be in service with all consequential benefits."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हनुमान सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 543/1981 में पारित आदेश दिनांक 28.05.1991 में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"23. In this view of the matter, it must be held that the action taken by the respondent No. 2 in passing the order dated 12.5.76 resulting in dismissal of the petitioner from service, with effect from 3.3.76, cannot be sustained in the eye of law.

24. The learned counsel for the petitioner did not press the other two contentions relating to absence of notice and violation of principles of natural justice in passing of the impugned order dated 12.5.76. In my opinion, he rightly did so, in view of the decision of the Constitution Bench of the Supreme Court in Tulsi Ram's case (supra).

25. Learned Additional Government Advocate submitted that the petition should be dismissed because the petitioner has not disclosed the fact that he had preferred an appeal and the same has been dismissed by the appellate authority. It is true that the petitioner should have made a mention of the dismissal of his appeal by the Dy. Superintendent of Police. However, that fact by itself is not sufficient to non-suit the petitioner, because the appellate authority also took the view that action had been taken under the Government Circular dated 22.3.75, which were justified.

26. The writ petition is, therefore, allowed. The order dated 12.5.76 passed by the respondent No. 2 is quashed and set aside. The petitioner shall be reinstated in service. Respondent No. 2 will, however, be free to reconsider the matter and pass appropriate order in accordance with law."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा महेन्द्र कुमार ढाका बनाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 10572/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"7. Thus, viewing the matter from any angle, particularly, the fact that the very basis of passing the order of

suspension is an erroneous fact and, therefore, the same is not sustainable in the eyes of law.

8. Accordingly, the instant Writ Petition succeeds and is allowed. The order dated 24.06.2024 passed by the Executive Engineer, JVVNL, Churu whereby the petitioner has been kept under suspension is hereby quashed and set aside. It is ordered that the petitioner shall be reinstated in service forthwith.

9. The stay petition and all pending applications, if any, shall stand disposed of."

उपरोक्तानुसार यह प्रकट होता है कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष के प्रथम वर्ष की एक अप्रेल को विभाग के द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी किया गया हो तो विभागीय कार्यवाही विचाराधीन मानी जावेगी तथा किसी फौजदारी प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान ले लिया गया हो तो फौजदारी प्रकरण विचाराधीन माना जावेगा। अपीलार्थी के प्रकरण में सर्वप्रथम फौजदारी प्रकरण नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध चैक अनादरण का मामला का प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर उस पर प्रसंज्ञान के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसलिये स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध में प्रसंज्ञान आदेश प्रभावी नहीं है। इसलिये विभागीय पदोन्नति समिति ने पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.12.2017 के द्वारा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति की गई थी, जिसको प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई अवसर दिये आलोच्य आदेश जारी किया गया है। जबकि चैक अनादरण मामले में की गई सजा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने कार्मिक की सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त किया है तथा यह निर्धारित किया है कि चैक अनादरण के प्रकरण फौजदारी प्रकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, सिविल नेचर के प्रकरण की श्रेणी में आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक परिप्रेक्ष्य में रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक दुराचरण के संबंध में फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध चैक अनादरण के लेन–देन प्रकरण को फौजदारी प्रकरण नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वे समस्त लाभ प्रदान किये जावे, जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रदान किये गये हैं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो माह में सुनिश्चित की जावे। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.01.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित करते हुये एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 96/2024 को भी अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य